अंचल का कार्यालय, पाकुड़
राजस्व विविध वाद अभि० सं०-03/19-20
अंचल-पाकुड़ (सदर), जिला-पाकुड़

08/8/19 यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 268/गो० दिनांक 03.06.2019 के द्वारा प्राप्त श्री कल्लू मियाँ पिता स्व० रमजान मियाँ सा०- तौजिडांगा बाजार पाकुड़ के आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित रा० उप०नि०/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन जो अभिलेख में संलग्न है का अवलोकन किया। सभी संबंधित को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19/08/19 को उपस्थापित करें।

Issued ee. 940/29.8.19

ह०/ 8/8/19
अंचल अधिकारी
पाकुड़

10/8/19 अभिलेख उपस्थापित। मौसम देवी, रंजु देवी एवं अन्य, तौजिडांगा बाजार पाकुड़ द्वारा जमाबंदी सं० 584/2 दाग नं० 1847, कुल रकबा 00-07-08 धुर जमीन संबंधी कार्रवाई में अपना हित बताते हुए सम्मलित करने का आवेदन पत्र समर्पित किया है। पूर्व निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।

ह०/ 10/8/19
अं० अधिकारी
पाकुड़

19/8/19 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उपनिरीक्षक / अं०नि० का प्लाट नं० 1847 से संबंधित पुनः एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; अवलोकन किया। मुन्नी बेगम, एवं मो० अनवर अली व अन्य उपस्थित है। इनके द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया है कि

प्रश्नगत भूमि हमारे दादा श्री अब्दुल रहमान का है ~~एवं~~ अब्दुल रहमान का एकमात्र पुत्र था जो कि मेरे पिता अकबर अली है। इनका यह भी कहना है कि मेरे पिता जी की मृत्यु 1983 को हो गयी। मेरे पिता जी प्रश्नगत जमीन पर कुछ लोगों को किराया पर जिनका नाम कलाम जी, नज्जू है दिए थे। ~~अ~~ इनका कहना है कि श्री ~~कल्लू मियाँ (आपत्तिकर्ता~~ आपत्तिकर्ता कल्लू मियाँ मेरे खानदान का नहीं है एवं आपत्तिकर्ता की उम्र लगभग 55-60 वर्ष होगी।

अन्य पक्षकार के रूप में उपस्थित श्रील देवी व अन्य द्वारा लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत भूमि का निबंधन उनके द्वारा मुस्तरी बेगम से प्राप्त किया गया है; एवं ~~उनके~~ आपत्तिकर्ता के आपत्ति का कोई वैध आधार नहीं है।

कल्लू मियाँ की तरफ से उनके अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दी गई है। उनके द्वारा बताया गया कि कल्लू मियाँ की तबीयत खराब है। अपना पक्ष रखने हेतु समय की मांग की गई।

प्रश्नगत भूमि से संबंधित वाद सुनवाई के संबंध में अधिवक्ता SUSHOVAN KARAR द्वारा अपने पत्र दिनांक 9.8.19 द्वारा पक्ष प्रस्तुत करते ~~हुए~~ हुए कहते हैं कि मेरे पक्षकार असारुद्दीन अंसारी पिता मो० रफीक बरा मौजा पाकुड़ के दाग नं 1847 से संबंधित वाद 1st Civil Judge (Sr. Division), ~~Haora~~ Howrah के [illegible] T.S. No- 1/2014 दायर किया है

जो अभी लंबित है।

असलम अंसारी, सा० पाकुड़ वार्ड 13 अनुपस्थित है।

सभी संबंधित पक्षकारों को दिनांक 03/9/19 को ~~आपत्ति~~ अपना पक्ष रखने हेतु पुनः नोटिस निर्गत करें।

(हस्ताक्षर) 19/8/19
अंचल अधिकारी
पाकुड़

03/9/19 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। शैल देवी व अन्य अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दी है। कल्लू मियां के तरफ से उनके अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दी गई है। असलम अंसारी, वार्ड पार्षद, वार्ड सं० 13 अनुपस्थित हैं। शैल देवी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा भूमि का क्रय निबंधित डीड के द्वारा किया गया है एवं डीड का निबंधन अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बाद हुआ है। कल्लू मियां के आपत्ति का कोई वैध आधार नहीं है। कल्लू मियां के तरफ से विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी वंशावली निर्गत नहीं कर सकते हैं।

उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा आगे के बहस हेतु अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया है। अभिलेख अगली तिथि दिनांक 19/9/19 को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 03/9/19
अंचल अधिकारी

19/9/19 अभिलेख उपस्थापित। अंचलाधिकारी के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख अगली तिथि दिनांक 23.9.19 को रखें।

अंचल अधिकारी
पाकुड़

23/9/19
26/9/19 अभिलेख उपस्थापित। अंचलाधिकारी के निर्वाचन संबंधी कार्य प्रशिक्षण में रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 01.10.19 को रखें।

अंचल अधिकारी
पाकुड़

01.10.19 अभिलेख उपस्थापित। अंचलाधिकारी निर्वाचन संबंधी कार्यों में व्यस्त। अभिलेख अगली तिथि 23/10/19 को रखें।

01/10/19

23/10/19 अभिलेख उपस्थापित। आदेश अंचलाधिकारी के अन्य द्वारा उपस्थिति दी गई है। अभिलेख दिनांक 7.11.19 को रखें।

23/10/19

07.11.19 अभिलेख उपस्थापित। अंचलाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। अभिलेख 20.11.19 को रखें तथा हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक का पत्र आने हेतु पुनः से नोटिस निर्गत करें।

20.11.19 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दी गई है। निर्वाचन कार्यों में व्यस्तता के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अभिलेख विधानसभा निर्वाचन के बाद दिनांक 7.1.20 को रखें

(हस्ताक्षर) 20/11/19
C.O. पाकुड़

7.1.20 अभिलेख उपस्थापित। पक्षकार अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 19/2/20 को रखें

(हस्ताक्षर) 07/1/20
अंचल अधिकारी
पाकुड़

19/2/20 अभिलेख उपस्थापित। पक्षकार अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 17/3/20 को रखें

(हस्ताक्षर) 19/2/20
अंचल अधिकारी
पाकुड़

17/3/20 अभिलेख उपस्थापित। पक्षकार अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 04.4.20 को रखें

(हस्ताक्षर) 19/2/20
अंचल अधिकारी
पाकुड़

04/4/20
18/8/20 अभिलेख उपस्थापित। पक्षकार अनुपस्थित। पूर्व की तिथि से कोविड-19 से व्यापक परिस्थिति के कारण किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पाई। अभिलेख दिनांक 15/9/20 को रखें

15/9/20 अभिलेख उपस्थापित। पक्षकार अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 19/10/20 को रखें।

हस्ताक्षर
15/9/20
C.O.
Pakur

19/10/20
21/10/20 अभिलेख उपस्थापित। निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के अवकाश में रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। पक्षकार भी अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 28/11/20 को रखें।

हस्ताक्षर
21/10/20
अंचल अधिकारी
पाकुड़

28/11/20 अभिलेख उपस्थापित। सौम्या सिंह के द्वारा उपस्थिति आवेदन पत्र के रूप में दी गई है; जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदन पत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के पत्र के आलोक में कारवाई करने का अनुरोध किया गया है। अन्य पक्षकार अनुपस्थित हैं। अभिलेख अगली तिथि दिनांक 28/12/20 को रखें।

हस्ताक्षर 28/11/20.
अंचल अधिकारी
पाकुड़

28/12/20 अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। अभिलेख अगली तिथि 28.1.21 को रखें।

हस्ताक्षर 28/12/20.
अं. अधिकारी
पाकुड़

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख ...

आदेश

28.1.21 इस वाद की कार्यवाही अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 268/गो० दिनांक 03.6.19 के द्वारा प्राप्त श्री कल्लू मियां पिता स्व० रमजान मियां, सा०- हरिणडांगा बाजार, पाकुड़ के आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारंभ की गई। इस राजस्व विविध वाद में मौजा पाकुड़ के खाता सं० 594/02, दाग नं० 1847, कुल रकबा 0-10-6 पर उभय पक्ष के दावे से संबंधित विवाद निहित है। रा० उ०नि०/अ०नि० के प्रतिवेदनानुसार उक्त प्रश्नगत भूमि खतियान में अब्दुल मजिद पि० कामताली एवं रमजान मियां पि० फैयज मियां व अब्दुल रहमान, पिता- छोटक मियां के नाम से दर्ज है। जांच प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत की गई। संबंधित पक्षकारों द्वारा विभिन्न तिथियों में उपस्थित होकर स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना-अपना पक्ष रखा गया।

कल्लू मियां द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वजों की भूमि है तथा वे उत्तराधिकारी हैं पर लाट नं० 1847 की भूमि के रकबा पर है। मुन्नी बेगम उनके उत्तराधिकारी हक के अन्तर्गत नहीं आती है एवं उनके द्वारा भूमि की की गई बिक्री गलत है।

दूसरी तरफ मुन्नी बेगम व अन्य का पक्ष है कि प्रश्नगत भूमि हमारे

दादा श्री अब्दुल रहमान की है एवं उत्तराधिकार रूप से आधी वह प्रश्नगत जमीन उन्हें प्राप्त है। कल्लू मियां हमारे खानदान के नहीं हैं एवं मेरे द्वारा अपने हिस्से की भूमि की बिक्री की गई है।

अन्य पक्षकार के रूप में श्रीमति शैलदेवी एवं अन्य द्वारा पक्ष रखा गया कि प्रश्नगत भूमि मेरे द्वारा कुमरी बेगम एवं अन्य से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदा गया है एवं मेरा प्रश्नगत भूमि पर दावा पूर्णतया वैध है।

प्रश्नगत भूमि से संबंधित एक अन्य पक्षकार अलाउद्दीन अंसारी पिता मो० रफीक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा गया कि मौजा पाकुड़ के दाग नं० 1847 से संबंधित एक वाद T.S.No-1/2014 व्यवहार सिविल जज महोदय के यहाँ लंबित है।

संबंधित पक्षकारों के पक्ष, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में तीन लोगों के नाम से दर्ज है जहाँ कुमरी बेगम एवं कल्लू मियां दोनों अपने को खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी / वंशज बता रहे हैं वहीं पक्षकार के रूप में श्रीमति शैलदेवी व अन्य का मत है कि उन्होंने भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद की है। स्थल जाँच के क्रम में क्रेता श्रीमति शैल देवी व अन्य का प्रश्नगत प्लाट पर दखल कब्जा नहीं पाया गया। दूसरी तरफ प्रश्नगत भूमि से संबंधित दो स्वत्ववाद T.S.No-1/2014 एवं 20/19 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है

वाद के पक्षकारों के बीच [illegible] उत्तराधिकार पत्र के दावों एवं माननीय न्यायालय के समक्ष स्वत्व संबंधी वाद विचाराधीन रहने के कारण इस राजस्व न्यायालय के स्तर से अंतिम निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस निष्कर्ष के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

[signature]
28/1/21

अंचल अधिकारी
पाकुड़

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2021.09.14 11:59:44 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1c2c:36d8:8c44:d374